

प्रेस नोट

24 आज दिनांक.11. को 2020थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु 0सं0अ0 552/ भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 379 धारा 2020मिथुन कनौजिया पुत्र बाबूलाल कनौजिया निवासी सी 19/ए आई 127पी मॉल के पीछे लल्लापुरा खुर्द थाना सिगरा वाराणसी उम्र वर्ष को उसके घर के 22 पीछेसे समय 12.बजे गिरफ्तार क 45िया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में ,चोरी की गयी काले रंग की मोटरसाईकिल पल्सर संख्या UP 65 BP 4692 बरामद हुई उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ में अभियुक्त मिथुन कनौजिया द्वारा अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि मै दिनांक 22/23.11.की रात्रि में गुजराती गली सोनिया में गया था और मैंने वहां पर दरवाजे के सामने खड़ी 2020 एक पल्सर मोटरसाईकिलदेखी जिसे पैदल-पैदल लेकर मैं सोनिया पानी टंकी की ओर आया। कुछ दूर आने के बाद फिर से वापस सोनिया मोड़ होते हुये चला गया और बाईक को लाकर अपने घर में रख दिया। आज मैं उक्त मोटरसाईकिल को बेचने के लिए लेकर जाने ही वाला था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मिथुन कनौजिया पुत्र बाबूलाल कनौजिया निवासी सी 19/127 ए आईपी मॉल के पीछे लल्लापुरा खुर्द थाना सिगरा वाराणसी उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की काले रंग की मोटरसाईकिल पल्सर संख्या UP 65 BP 4692

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अमित कुमार यादव चौकी प्रभारी सोनिया, उ0नि0 विनय कुमार यादव, आरक्षी अजीत कुमार, आरक्षी अरविन्द कुमार, आरक्षी करुणेश, आरक्षी का0 जितेन्द्र कुमार सिंह क्राइम टीम, आरक्षी राकेश सिंह क्राइम टीम थाना सिगरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय
वाराणसी

वाराणसी पुलिसआपकी अपनी पुलिस :

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

sspvn-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1602020

दिनांक: नवम्बर/24 ,2020

प्रेस नोट

थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 283/16 धारा 498(ए)/304(बी) भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार प्रजापति पुत्र सोनू राम निवासी कटौना थाना फूलपुर वाराणसी को मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 24.11.2020 को मा0 न्या0 ए0सी0सी0 IV जनपद वाराणसी द्वारा धारा 498(ए)/304(बी) भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 [ईमेल-](mailto:sspvn-up@nic.in)

sspvn-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /1612020

दिनांक: नवम्बर/24 ,2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 24-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा बिना मास्क धारण किये *कुल 441 व्यक्तियों से रु0-10, -/200जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 962 वाहनों का चालान, 01 वाहन को सीज तथा 149 वाहनों से रु0-1,19,900/ -समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 24.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलकॉलेज व सार्वजनिक स्थलो/ों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टरविडियो क्लिप क/आडियो/पम्पलेट/बैनर/े माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों)112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 238 बालिकाओं क/महिलाओं 6584 प्रसार कर कुल-स्थानों पर प्रचारो जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1032 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल चेकिंग /स्थानों पर भ्रमण 167 करते हुए कुल1807 महिलाओंबालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही / करते हुए03 के विरुद्ध पुलिस एक्ट में 34 कार्यवाही ,06 व्यक्तियों का एमवी एक्ट में चालान ,02 के विरुद्ध शोहदों को हिदायत दी गयी। 128 सीआरपीसी में चालान तथा 151

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।